


समयबन्धु

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2015/फाल्गुन 27, 1936

No. 591]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2015 /PHALGUNA 27, 1936

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2015

का.आ. 782(अ).—कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2014 (2014 का 7) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा कोयला खान (विशेष उपबंध) नियामवली, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों को कोयला खान (विशेष उपबंध) संशोधन नियम, 2015 कहा जाए।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कोयला खान (विशेष उपबंध) नियामवली, 2014 के नियम, 11 में उप-नियम (9) के बाद निम्नलिखित उप-नियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(10) केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में तथा लिखित में दर्ज किए गए कारणों के लिए अनुसूची-I कोयला खान को केंद्र सरकार की कंपनी अथवा निगम को आबंटित करने के लिए इस नियम के किन्हीं उपबंधों में छूट दे सकती है।”

[फा. सं. 54018/2/2015 – सीए- II]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 के सा.का.नि. 883(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2015

S.O. 782(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Second Ordinance, 2014 (7 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014, namely :—

1. (1) These rules may be called the Coal Mines (Special Provisions) Amendment Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014, in rule 11, after sub-rule (9), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(10) The Central Government may in public interest and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule for the allotment of a Schedule I coal mine to a Central Government company or corporation.”

[F. No. 54018/2/2015-CA-II]

VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number G.S.R. 883(E), dated the 11th December, 2014.